

GUIDELINES FOR PARENTS OF SCHOOL CHILDREN



- Parents are equally responsible for the safety of their children during school journeys.
- They must ensure that the mode of transport arranged by school or by themselves is absolutely safe.
- Parents must play the role of vigilant observers. They should note down violations committed by school buses and immediately report to the authorities.
- Parents must participate in Parent-Teacher Meetings and discuss the safety aspects of their children.
- While taking their children to school themselves, they should take proper care of their safety.
- Parents must ensure that the children acquire the right knowledge and skills for safe use of roads. They should teach their children the basic rules of the road, how to walk and cross the road, how to alight and board a bus, etc.
- Parents should not allow their minor children to drive.
- Parents must also ensure that the right attitude necessary for a law-abiding citizen is inculcated in their children from the very beginning.
- Children are very good observers and therefore, parents must set an example by meticulously observing even small traffic rules.

**We are concerned about your safe & smooth passage
and you can help us by obeying traffic rules**



24 x 7 Traffic Helpline No.: 25844444,1095, SMS: 56767
e-mail: info@delhitrafficpolice.nic.in
website: www.delhitrafficpolice.nic.in

DELHI TRAFFIC POLICE

स्कूली छात्रों के अभिभावकों के लिए दिशानिर्देश



- बच्चों की स्कूल तक की व स्कूल से वापिस घर तक की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी माता-पिता की है।
- माता-पिता यह सुनिश्चित कर लें कि स्कूल द्वारा व्यवस्थित किया गया परिवहन का साधन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
- माता-पिता को जागरूक होना चाहिये और बस /वाहन चालक द्वारा किए गए यातायात उल्लंघनों की सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।
- माता-पिता को स्कूल द्वारा आयोजित PTM में भाग लेना चाहिए तथा बच्चों के सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए।
- यदि माता-पिता खुद ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते व ले जाते हैं, तो भी उनको बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क होना चाहिए।
- माता-पिता यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनके बच्चे छोटी उम्र में ही सुरक्षित तरीके से सड़क प्रयोग करने का तरीका सीखें। बच्चों को मूल सड़क सुरक्षा नियमों की शिक्षा देनी चाहिए जैसे कि सड़क पर चलने की विधि, सड़क पार करने का तरीका, बस में चढ़ने व उतरने का तरीका, इत्यादि।
- माता-पिता अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें। बच्चों में एक अच्छे नागरिक व नियमों का पालन करने वाले सड़क उपयोगकर्ता बनने की आदत कम उम्र में ही डाली जानी चाहिए।
- बच्चे बड़ों के व्यवहार व चाल-चलन को गौर करते हैं और उसी प्रकार आचरण करते हैं। इसलिए माता-पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वे भी छोटे से छोटे नियम का पालन करें व अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनें।

यातायात नियमों का पालन करें और हमारी सहायता करें।
हम आपकी सुरक्षित आवाजाही चाहते हैं।



24 x 7 यातायात पुलिस हेल्पलाइन न०.: 25844444, 1095, SMS: 56767

ई-मेल : info@delhitrafficpolice.nic.in

वेबसाइट : www.delhitrafficpolice.nic.in

दिल्ली यातायात पुलिस